Form No. III

APP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत SDM- KOTA मुकाम KOTA

राजस्थान सरकार बनाम नरेन्द्र खण्डेलवाल

नम्बर मुकदमा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 नं. 20 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
26/03/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 26/03/25 को पेश हो।	
26/03/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 में नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल नाम की डबल बार एन्ट्री हो रही है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 में स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 436 दिनांक 12.06.2024, नामा0 संख्या 437 दिनांक 20.06.2024 व नामा0 संख्या 438 दिनांक 04.07.2024 बेचान द्वारा नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल की डबल एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 436, 437, 438 बेचान द्वारा नरेन्द्र खण्डेलवाल के नाम की 4 बार एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 में नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल हि0 1/15, नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल हि0 16/365, नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल हि0 57/730 एवं नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल 48/365 के स्थान पर नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल हि0 701/2190 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 26/03/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 26/03/25	